अर्धशा0प0सं0–107/9–आ–5–2001–7विविध/2001
लखनऊ : दिनाँक – 20 फरवरी, 2001

प्रिय महोदय,

शासन द्वारा सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर अनिवार्य सेवा–निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि वित्तीय–हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में प्रकाशित ''मूल नियम–56 में यह व्यवस्था की गयी है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्त प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन मास की नोटिस अथवा तीन मास का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्त किया जा सकता है।' उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम–34(2) में भी उपरोक्तानुसार व्यवस्था की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा व केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की स्क्रीनिंग निम्न व्यवस्था अन्तर्गत की जायेगी :–

स्क्रीनिंग कमेटी का गठन

**(अ) अकेन्द्रीयित सेवा**

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हेतु संबंधित उपाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा :–

(1) संबंधित विकास प्राधिकरण के सचिव अध्यक्ष
सचिव की अनुपलब्धता में समूह ''क'' का वरिष्ठ सदस्य
अधिकारी जो नामित सदस्यों से वरिष्ठ हों।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी/उपाध्यक्ष द्वारा निमित्त नामित दो वरिष्ठ अधिकारी जो नामित सदस्यों से वरिष्ठ हों।

**(ब) केन्द्रीयित सेवा**

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों की स्क्रीनिंग हेतु उ0प्र0 के समस्त विकास प्राधिकरण को तीन जोनों में बांटकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

| क्र0 | जोन सम्बद्ध विकास प्राधिकरण/ | स्क्रीनिंग हेतु गठित समिति विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण |
|---|---|---|
| 1 | पूर्वी इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या | उपाध्यक्ष इलाहाबाद/क्षेत्र के फैजाबाद, गोरखपुर, बांदा, वरिष्ठतम मुख्य अभियंता/ विन्ध्याचल, चित्रकूट मुख्य लेखाधिकारी। |
| 2 | पश्चिम गाजियाबाद, मेरठ हापुड़– | उपाध्यक्ष, गाजियाबाद पिलखुआ, मुजफ्फरनगर, तदैव सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा अलीगढ़, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद |
| 1. | मध्य लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, | उपाध्यक्ष, लखनऊ उन्नाव, शुक्लागंज, बरेली, झांसी। |

तदैव सचिव,
उ0प्र0 शासन,

आवास अनुभाग–5

शासन द्वारा उपरोक्त गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्बद्ध विकास प्राधिकरण के समस्त केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हेतु संस्तुति संवर्गवार शासन (सचिव आवास) को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर शासन स्तर पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

**विचारणीय–अभिलेख**

(3) अनिवार्य सेवा–निवृत्ति का निर्णय लेने के लिये यद्यपिसंबंधित सेवक/कार्मिक के सम्पूर्ण सेवा काल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि विशेष बल अन्तिम 10 वर्ष अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिए कि संबंधित सेवक की दक्षता/सत्यनिष्ठा का स्तर क्या ऐसा है, जिसके आधार पर उसे जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्ति किया जाना चाहिए।

(4) (1) अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व नियुक्ति प्राधिकारी/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को होगा।

(2) केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के संदर्भ में उपरोक्तानुसार गठित स्क्रीनिंग समिति पृथक–पृथक बैठकें कर संवर्गवार अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेंगी।

**कार्यवाही की समय–सारिणी**

(5) (1) इस वर्ष स्क्रीनिंग का कार्य प्रत्येक दशा में मार्च 2001 तक पूर्ण किया जाना है अतः 01 मार्च 2001 तक अकेन्द्रीयित सेवा कार्मिकों की स्क्रीनिंग का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाये और केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के संबंध में संस्तुतियां 15–7–2001 तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
(2) स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रतिवर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
(3) यथासम्भव प्रतिवर्ष नवम्बर के अन्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाये।
(6) (1) अनिवार्य सेवा–निवृत्ति हेतु की गयी स्क्रीनिंग से संबंधित वार्षिक सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भेजी जायेगी।
(2) ऐसे कर्मचारियों को सेवा–निवृत्त किये जाने का आलेख्य जिनके नियुक्त अधिकारी राज्यपाल से भिन्न हैं, के संबंध में आदेशों का आलेख्य संलग्न है।

**स्क्रीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति**

स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्ट्रेटस नहीं होगा वे केवल संबंधित नियुक्ति अधिकारी के समाधान में सहायता के लिए होगी व उनकी कार्यवाहियां भी अनौपचारिक होंगी। अनिवार्य सेवा–निवृत्ति का निर्णय लेने का अधिकार नियुक्त प्राधिकारी में सन्निहित है अतः वे ऐसे कर्मचारी/अधिकारी की सेवा निवृत्ति का निर्णय भी ले सकते हैं। जिनके मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष न प्रस्तुत किये जा सके हों।
(8) अनुरोध है कि कृपया तत्काल उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा इस विषय में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।
**संलग्नक : उपरोक्तानुसार**

भवदीय,
**अतुल कुमार गुप्ता**
सचिव

**1. उपाध्यक्ष (नाम से)**
विकास प्राधिकरण।

**2. अध्यक्ष (नाम से)**
विशेष–क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

## अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु की गयी स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना

## वर्ष 2000–2001

क्रमांक कार्मिकों की श्रेणी 50 वर्ष की आयु स्क्रीनिंग कमेटी के कार्मिकों की कुल अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी अन्य प्राप्त कार्मिकों की समक्ष विचारार्थ संख्या जो स्क्रीनिंग सेवा निवृत्त किये के विचार से के समक्ष रखे विवरण कुल संख्या रखे गये कार्मिकों कमेटी द्वारा अनिवार्य ये कार्मिकों की सहमत न होने बिना नियुक्त यदि की कुल संख्या सेवा निवृत्ति के कुल संख्या के संक्षिप्त प्राधिकारी द्वारा कोई हो योग्य समझे जाये कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिसके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी है।

### नोटिस का प्रालेख

समय–समय पर यथा संशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग 2 से 4 तक में दिये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (')..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूं, जिस पर आप आरूढ़ है एतद्द्वारा नोटिस देकर आपसे लोकहित में अपेक्षा करता हूं कि आप (")..... इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवा निवृत्त हो जाये।

नियुक्ति प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा पदनाम

(*) यहां पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाये।
(**) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाये (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (').....(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है,) को दी गयी नोटिस दिनांक .....के क्रम में (")..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर अपने वेतन तथा भत्ते यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उसकी अपनी सेवा नियुक्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा पदनाम

(*) कर्मचारी का नाम व पदनाम।

(**) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पदनाम।
नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग–2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल

रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (')..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं, जिस पर

श्री (**)..... आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि श्री (**)..... इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनकी अपनी सेवा निवृत्ति के ईक पहले पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर
तथा पदनाम।

(*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों।

(**) कर्मचारी का नाम

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिसके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल है

**नोटिस का प्रालेख**

समय–समय पर यथा संशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग 2 से 4 तक में दिये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (')..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूं, जिस पर आप आरूढ़ है एतद्द्वारा नोटिस देकर आपसे लोकहित में अपेक्षा करता हूं कि आप (")..... इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवा निवृत्त हो जाये।

नियुक्ति प्राधिकारी के

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(*) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाये (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग–2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (')..... (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) को दी गई नोटिस दिनांक .....के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया गया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवा निवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर अपने तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी निवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (')..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं, जिस पर

श्री (*)..... (*)..... आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि श्री (**)..... ...इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनकी अपनी सेवा निवृत्ति के ईक पहले पा रहे थे।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

**सचिव**

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग–2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश है कि श्रीं (')..... इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस पर वह उनको अपनी सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

**राज्यपाल की आज्ञा से**

**सचिव।**

(*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होता है।